न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 55 / 2017 / जैसलमेर

अपीलांट

रेस्पोडेंटगण

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार फतेहगढ़ **बनाम** 1.नखतसिंह पुत्र बूलिदानसिंह
2.मांगूसिंह पुत्र बूलिदानसिंह
3.कवरो पत्नी बूलिदानसिंह
4.बेरिसालसिंह पुत्र सांवतसिंह
5.गिरधरसिंह पुत्र बलवन्तसिंह
6.हरीसिंह पुत्र बलवन्तसिंह
7.मोहनकंवर पत्नी बलवन्तसिंह सर्वे जातियान राजपूत सर्वे निवासीयान भैलाणी तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 01/2013 बअनवान बूलिदानसिंह कायम मुकाम नखतसिंह वगैरह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.03.2014 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः— 21.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88,89, 90, 91, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम भैलाणी के वर्तमान खसरा नम्बर 112 रकबा 38.18 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया है जबकि यह भूमि सेटलमेंट में भी सरकारी भूमि दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियों प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है न ही कोई अभिलेखीय कब्जा साबित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 27.03.2014 को अपास्त किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। राजकीय अभिभाषक की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने व प्रार्थी कर अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पर्चा खतौनी ग्राम भेलाणी (EXP-1) मुताबिक बुलिदानसिंह पुत्र सांवतसिंह जागीरदार खुदकाश्त के नाम खसरा संख्या 62 (ढाणीवाला खेड़ा) रकबा 92.00 बीघा बाजरिया खसरा संख्या 65 (ढाणी से दखण) रकबा 86.05 बीघा कुल 2 खसरों की 178.05 बीघा खातेदारी दर्ज हुई। तुलनात्मक पंजिका समरी मौजा भैलाणी (EXP-2) में समरी खसरा संख्या 62 रकबा 92 बीघा बाजरिया के वर्तमान खसरा संख्या 112 रकबा 110.18 बीघा (ढाणी वाला खेड़ा) बना जाना साबित है और यह खसरा संख्या 112 **"बंजड़ होने से कम किया जाकर सिवायचक दर्ज हो, बकाया इन्द्राज किये की टिप्पणी के साथ राज रकबा दर्ज किया गया।"** जमाबंदी ग्राम भेलाणी संवत 2031 के मुताबिक खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

संख्या 112 (EXP-14) रकबा 110.18 बीघा सिवायचक मिल्कियत सरकार दर्ज हुआ है जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2064 (EXP-16) के अनुसार शेष 75 बीघा भूमि खसरा संख्या 112/523 सवाईसिंह पुत्र लखसिंह कौम राजपूत साकिन मूलाणा की खातेदारी में दर्ज है। **वादग्रस्त खसरे में केवल संवत 2069 खसरा परिवर्तनशील (EXP-18) के मुताबिक बलवंतसिंह, बेरीसालसिंह पुत्र सांवतसिंह की 10 बीघा गवार काश्त कब्जा है। इसके अलावा मुताबिक रिकॉर्ड इनका इस पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है।** वादीगण के दावे के वादग्रस्त खसरे में शेष रही भूमि पर ही दावा लाने का वादीगण का मकसद इस हिसाब से स्पष्ट नहीं है, यदि वादग्रस्त खसरे की समस्त भूमि उनकी खातेदारी मे से कम की हुई है तो संपूर्ण भूमि का हक जताकर दावा लाना लाजमी है। इसके लिए **वादग्रस्त भूमि में से 75 बीघा भूमि के खातेदार सवाईसिंह पुत्र लखसिंह कौम राजपूत निवासी मूलाणा की खातेदारी संबंधी जांच एवं उनको पक्षकारा बनाये बिना वादीगण का दावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री किया जाना विधि विरूद्ध एवं सद्भावी नहीं है।** उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 01/2013 बअनवान बूलिदानसिंह कायम मुकाम नखतसिंह वगैरह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.03.2014 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादीगण के वादग्रस्त खसरे की कुल भूमि में वर्तमान खातेदार सांवतसिंह को मिली खातेदारी का परीक्षण करें तथा उन्हें पक्षकार के रूप से संयोजित कर उनको सुनवाई का अवसर देते हुए वादग्रस्त खसरे में वादीगण के वक्त सेटलमेंट से अनवरत कब्जा काश्त बाबत अभिलेखीय सबूत लेकर तत्पश्चात गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

यह आदेश आज दिनांक 21.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/8/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner